

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/712/2024, लखनऊ :: दिनांक जून 19, 2024

### संशोधित आदेश

न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण लखनऊ पीठ प्रथम लखनऊ ने अपने पत्र सं0 स0वा0क0अधि0/386/2024 दिनांक 19.06.2024 द्वारा अवगत कराया है कि मुख्यालय के आदेश सं0 469/2024 दिनांक 02.05.2024 द्वारा वाराणसी के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 24.06.2024 से 27.06.2024 तक की गठित वाराणसी युगल पीठ में नामित किया गया है किन्तु सदस्य, पीठ प्रथम, लखनऊ द्वारा व्यक्तिगत कारणों से गठित युगल पीठ में सम्मिलित होने में असमर्थता व्यक्त की गई है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति पर सम्यक रूप से विचार करते हुए पूर्व निर्गत आदेश सं0 469/2024 दिनांक 02.05.2024 को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए जनपद वाराणसी में दिनांक 24.06.2024 से 27.05.2024 तक पूर्व गठित युगल पीठ निरस्त जाती है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/- 19.06.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक :: यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ प्रथम, लखनऊ।
- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ -1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी।
- 2- मुन्सरिम/प्रेसकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
- 3- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।